बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

के लिए

निजी सुरक्षा अभिकरण के

चयन हेतु

निविदा प्रपत्र

मूल्य 1,000/– (ननरिफन्डेबुल)

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

पटना– 800001

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

निजी सुरक्षा अभिकरण के चयन हेतु निविदा पत्र

निजी सुरक्षा अभिकरण के चयन हेतु क्रय किये जाने वाले निविदा पत्र के लिए निगम की मनी रसीद संख्या– .... दिनांक .... 1,000.00 (एक हजार रूपये ननरिफनडेबुल)

क्रय करने वाले संस्था/फार्म का नाम एवं पता–

....

....

....

....

रोकड़पाल का हस्ताक्षर
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

———————————————————————————————————

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल मार्ग, पटना में मुहरबंद निविदा दिनांक 19.01.2018 के अपराह्न 2:00 बजे तक स्वीकार्य होगी।

(इसकी छाया प्रति अपने निविदा पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें)

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्सः 0612 2547066, वेबसाइटः brbn.bih.nic.in ई–मेलः brbn.bih.mail@gmail.com

निजी सुरक्षा अभिकरण के चयन हेतु सामान्य निदेश

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड राज्य सरकार के अधीनस्थ कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् निबंधित सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय पटना में अवस्थित है तथा कुदरा (कैमूर)/बेगूसराय/हाजीपुर/भागलपुर/रॉची में प्लांट–सह–क्षेत्रीय कार्यालय एवं शेरघाटी में प्लांट कार्यालय तथा भभुआ, मोहनियॉ, सासाराम, डिहरी, बिक्रमगंज, कोचस, बक्सर, आरा, बिहटा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतीहारी, पूर्णिया में उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्र कार्यरत है।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में सुरक्षा प्रहरियों की आवश्यकता है, जिसका नियोजन आउटसोर्सिंग के आधार पर एक या एक से अधिक निजी सुरक्षा अभिकरण के माध्यम से किया जायेगा।

निजी सुरक्षा अभिकरण के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को निगम मुख्यालय या निगम के किसी क्षेत्रीय कार्यालय/प्लांट कार्यालय/उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्रों पर पदस्थापित किया जायेगा।

निजी सुरक्षा अभिकरण के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को निगम कार्य में किसी प्रकार के दुराचार/ कर्त्तव्यहीनता/ अक्षमता/ लापरवाही/ असंतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में कभी भी कार्यमुक्त किया जा सकता है।

निजी सुरक्षा अभिकरण के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी या स्थायी नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

निजी सुरक्षा अभिकरण की सेवा समाप्त की जाती है, तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइटः brbn.bih.nic.in ई–मेलः brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा शर्त्तेः–

(क) निजी सुरक्षा अभिकरण अपनी निविदा दो भागों में समर्पित करेगी। निविदा का पहला भाग तकनीकी योग्यता एवं चयन शर्त्त अनुसूची (1) के अनुरूप होगा जिसमें एजेन्सी का पूर्ण विवरण, क्षमता एवं सक्षमता आदि का विवरण होगा।

(ख) निजी सुरक्षा अभिकरण का दूसरा भाग वित्तीय ऑफर अनुसूची (2) के अनुरूप होगा।

(ग) जो निजी सुरक्षा अभिकरण तकनीकी निविदा शर्त्तों को पूरा करेंगे, मात्र उसी निजी सुरक्षा अभिकरण के वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

(घ) चयनित निजी सुरक्षा अभिकरण का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। आवश्यकता पड़ने पर एजेन्सी की संतोषप्रद सेवा की स्थिति में पुराने ही दर पर अवधि विस्तार दिया जा सकता है।

(ड़) निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी एक्स आर्मीमैन/सिविल सिक्यूरिटी गार्ड होना जरूरी है।

(च) निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुपरवाईजर को सेना के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर या इसके समकक्ष होना जरूरी है।

सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता एवं कार्यावधिः–

क्र0	**समय**	**सुरक्षा कर्मी**		
		शस्त्र सहित	**शस्त्र रहित**	**पर्यवेक्षक**
		12	**33**	**1**
1	प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक			
2	दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक			
3	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक			

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा के अन्य शर्तें:–

1. सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा प्रहरी (शस्त्र सहित) एवं सुरक्षा प्रहरी (शस्त्र रहित) की उम्र सीमा 18–42 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. चयनित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों की सेवा बिहार/झारखंड राज्य स्थित निगम के किसी भी कार्यालय में ली जायेगी।
3. ईच्छुक निजी सुरक्षा अभिकरण, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त सूचीबद्ध होना चाहिए।
4. एजेंसी द्वारा अपने प्रत्येक सेवा कर्मी को बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की सुरक्षा प्रहरी आदि के लिए तैनात करने के पूर्व प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष नियत समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही किसी सेवा कर्मी को सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकेगा।
5. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी सेवा कर्मी की नियुक्ति के लिए दावा निगम द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
6. सेवा/सुरक्षा कर्मियों से संबंधित अन्य सभी नियमानुसार देय सुविधाये एजेन्सी द्वारा अपनी सेवाकर्मियों को देय होगी।
7. चयनित सेवा कर्मी को उपलब्ध कराये गये किसी भी सेवाकर्मी को हटाने के पूर्व निगम प्रबंधन से आदेश प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। बिना आदेश के किसी भी सुरक्षाकर्मी को अपने मन से नहीं हटाया जा सकता है।
8. चयनित एजेंसी एवं निगम (दोनों पक्षों) द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
9. निगम परिसर में कार्य पर आने वाले कर्मियों को पदग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. एजेन्सी को निगम द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. निधि की अनुपलब्धता या अन्य किसी कारण से भुगतान की बिलम्ब की दिशा में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति इत्यादि का दावा नहीं होगा।
12. चयनित एजेन्सी द्वारा कर्त्तव्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मी का पूर्ण एवं सही पता देना अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदादाता को एकरारनामा के पूर्व रू0 दो लाख की जमानत राशि जमा करना है इसमें अग्रधन की राशि सम्मिलित नहीं रहेगी। यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत

बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी जो प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के पदनाम से पटना में देय होगा।

14. प्रशासनिक या किसी अन्य कारण से प्रबंध निदेशक के निर्देश पर किसी कर्मी को निगम की सुरक्षा से 24 घंटे के अंदर हटाना एजेंसी की बाध्यता होगी और उस परिस्थिति में उसी श्रेणी का दूसरे कर्मी की तुरंत प्रतिनियुक्ति एजेंसी के लिए अनिवार्यता होगी।
15. सेवा/सुरक्षाकर्मियों की नियमित उपस्थिति प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट में अंकित की जायेगी। प्रत्येक शिफ्ट के सुरक्षाकर्मी ड्यूटी समय से 15 मिनट पहले उपस्थिति की सूचना देंगे। ड्यूटी छोड़ने के समय भी उपस्थिति बनायेंगे। उपस्थिति विवरणी एवं भुगतान विपत्र एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रत्येक माह की पहली तारीख को जमा की जायेगी। ऐसे पारित विपत्र के अनुसार सेवाकर्मियों का भुगतान निगम परिसर में ही करना अनिवार्य होगा।
16. एजेन्सी के पास विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षाकर्मियों/सेवा कर्मियों का पर्याप्त संख्या में रहना आवश्यक है तथा इसके नियोजन हेतु वैद्य लेवर लाईसेन्स रहना अनिवार्य है।
17. एजेन्सी के द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मी प्रत्येक 8 (आठ) घंटे कार्य किया करेंगे। सप्ताह में एक दिन उन्हें छुट्टी दी जाएगी। एजेन्सी अद्यतन बिहार श्रम कानून का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
18. निगम परिसर में कार्यरत सुरक्षा एवं सेवाकर्मियों को वांछित वर्दी एवं अन्य शस्त्र एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा, जिसे ड्यूटी के समय धारण करना अनिवार्य होगा। निगम द्वारा इन सामग्रियों की आपूर्ति एजेन्सी को नहीं की जायेगी। वर्दी में नहीं रहने पर उस दिन का वेतन नहीं दिया जायेगा।
19. निगम परिसर में उपयोग हेतु सामान जैसे– टॉर्च इत्यादि सामान निगम द्वारा कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
20. निगम परिसर में कार्य पर आने वाले कर्मियों को पदग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
21. एजेन्सी को निगम द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. सुरक्षाकर्मियों से संबंधित किसी भी मापदंड/ नियम जो निगम द्वारा निर्धारित है के उल्लंघन होने पर, एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी तथा ऐसे में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम उनका एकरारनामा रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
23. निजी सुरक्षा अभिकरण पर्याप्त अनुभवी एवं अनुशासित सुरक्षाकर्मी मुहैया करायेंगे, जो 24 घंटे (रात एवं दिन) निगम परिसर में अवस्थित परिसंपत्तियों की सुरक्षा करेंगे एवं साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी इसी स्वीकृत बल के अधीन व्यवस्था करेंगे।
24. सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी से निगम को अवगत कराते रहेंगे। चोरी अथवा क्षति एवं अन्य प्रासंगिक 'ऑफेस' की स्थिति में एजेन्सी द्वारा तहकीकात कर निगम को प्रतिवेदन समर्पित करना होगा तथा राज्य पुलिस के साथ तारतम्य बनाये रखना होगा।
25. सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में दक्ष होना अनिवार्य है।
26. एजेन्सी को अपने खर्च से कर्मियों को यूनीफार्म, नाम पट्टी के साथ देना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मियों द्वारा इसका सही उपयोग किया जाता है।

27. एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मियों की लापरवाही के कारण निम्न किसी भी क्षति की स्थिति में एजेन्सी के विपत्र/ सुरक्षित धन से रकम काटने का अधिकार होगा जो दंड के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार की लगातार घटनाओं कि स्थिति में निगम को आगे एकरारनामा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
28. विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक, नियमों जैसे– वेजेज एलॉवेन्श, कम्पनसेशन, पी0एफ0, बोनस, ग्रेच्युटी, एल0आई0सी0 इत्यादि जो कार्यरत कर्मियों से संबंधित है, के पालन का पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी को होगा साथ ही किसी सुरक्षाकर्मी/सेवाकर्मी से दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में देय मुआवजा तथा अन्य प्रासंगिक खर्च का भी भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम लि0 पर इसका कोई दायित्व नहीं होगा।
29. किसी कर्मी को छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी को अन्य कर्मी की उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान निगम नहीं करेगा।
30. निगम को अस्थाई/आपातकाल में अतिरिक्त सुरक्षाबल की आवश्यकता की स्थिति में एजेन्सी को एकरारित दर पर ही सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना होगा।
31. प्रत्येक महीना के विपत्र से लागू आयकर की कटौती की जायेगी।
32. एजेन्सी को बिहार राज्य के न्यूनतम मजदूरी के अधिनियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
33. गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–एस0ओ0ः–जी0/विविध–14/2005–13950/पटना, दिनांक 22.09.2011 में निहित्त प्रावधान के अंतर्गत सुरक्षा कर्मी को निम्नलिखित सामग्री निजी सुरक्षा अभिकरण को उपलब्ध करना बाध्यकारी होगाः–

    (क) अभिकरण की पहचान का बाजूबद बैज।

    (ख) संगठन में उसकी हैसियत दर्शानेवाला कंधा अथवा छाती पर लगाया जानेवाला वाला बैज।

    (ग) डोरी से बंधी सीटी जो बायीं जेब में रखी जाएगी।

    (घ) फीतेवाले जूते।

    (ड़) टोपी जिसमें अभिकरण का पहचान चिन्ह भी हो।

    (च) वर्दी का रंग और बैज ऐसा होगा कि वह सशस्त्र बलों, केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी से मेल न खाए।
34. किसी भी समस्या या विवाद के संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा।
35. शर्त्तों को अवहेलना की स्थिति में निगम को निम्न अधिकार सुरक्षित होगा।
    1. आदेश रद्द करना।
    2. निविदा की कुल राशि से दण्ड स्वरूप यथोचित कटौती करना।

निविदा प्रपत्र बिहार राज्य बीज निगम लि0, छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना से दिनांक 28.12.2017 से दिनांक 18.01.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में 1,000 रू0 (ननरिफन्डेबुल) नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निजी

सुरक्षा अभिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षाकर्मियों के नियोजन के लिए निविदा दिनांक 19.01.2018 के अपराह्न 2:00 बजे तक ही स्वीकार होगी। निविदा उसी दिन दिनांक 19.01.2018 को अपराह्न 4:00 बजे खोला जायेगा। अपनी निविदा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना के यहॉ दाखिल करें।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को निविदादाता के ऑफर को अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्सः 0612 2547066, वेबसाइटः brbn.bih.nic.in ई–मेलः brbn.bih.mail@gmail.com

अनुसूची–I

निजी सुरक्षा अभिकरण के चयन हेतु तकनिकी योग्यता एवं शर्त्तें

1	निबंधित संस्था/कम्पनी/स्मामित्व का नाम	
2	निबंधित कार्यालय का पता	
3	दूरभाष संख्या, फैक्स/ईमेल	
4.	पैन/जी0आई0आर0 नं0 (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
5	सर्विस टैक्स निबंधन संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
5	ई0पी0एफ0 निबंधन संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
6	ई0एस0आई0 निबंधन संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	जी0एस0टी0 निबंधन संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
8	एजेन्सी को भारत सरकार/राज्य सरकार/बोर्ड/निगम में समान नियोजन का विगत 5 वर्षों का कार्यानुभव हो (प्रमाण सहित अंकित करें)।	
9	लगातार तीन वर्षों से निजी सुरक्षा अभिकरण की तरह 1,000 (एक हजार) व्यक्ति से अधिक का कार्य किया हो (प्रमाण सहित छाया प्रति अंकित करें)।	
10	गत तीन वर्षों का Turn over न्यूनतम पचीस लाख प्रति वर्ष हो, का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	

11	निजी सुरक्षा अभिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अन्तर्गत निबंधित/अनुज्ञप्ति प्राप्त हो एवं सेवा कर, आयकर प्रदायी हो, का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	
12	निजी सुरक्षा अभिकरण देश के किसी हिस्से में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो/न्यायालय द्वारा अनुबंध खंडित हेतु दंडित नहीं हो/अपराधी नहीं हो तथा जिनकी सेवा पूर्व में किये गये करारों में संतोषप्रद रही हो। (नोटरी पब्लिक का शपथ–पत्र संलग्न करें)	
13	चयनित निजी सुरक्षा अभिकरण को 2,00,000 रू0 (दो लाख रूपये मात्र) की बैंक गारंटी देनी होगी एवं कार्य नहीं कर सकने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी। सहमति अंकित करें।	
14	निजी सुरक्षा अभिकरण को निविदा आवेदन के साथ 25,000 रू0 (पचीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट ''बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना'' के नाम से मूल रूप से संलग्न करना होगा।	
15	निजी सुरक्षा अभिकरण, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त सूचीबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूर्ण नाम

पदनाम

संस्था/कम्पनी/एजेन्सी का नाम

मुहर के साथ

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

अनुसूची–II

निजी सुरक्षा अभिकरण के चयन हेतु वित्तीय ऑफर

एजेन्सी का वित्तीय ऑफर

(क) निजी सुरक्षा अभिकरण सभी नामित निम्नलिखित सुरक्षा कर्मियों के लिए कुल मासिक सेवा शुल्क (कर सहित) प्रतिमाह कितना भुगतेय होगा यह स्पष्ट करना होगा।

(ख) बिहार गजट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन होना चाहिए।

(ग) वित्तीय ऑफर मुहरबंद लिफाफे में जिसके उपर ''भुगतान का प्रस्ताव'' लिखा हो के माध्यम से ऑफर देना होगा।

Post	Service Charge	GST Charge	Work man compensation insurance charages (E.S.I.)	E.P.F. Charges	Any other Tax	Amount paid to concern person	Rate per month per person (inclusive of all taxes)
1	2	3	4	5	6	7	8
Unarmed Guard							
Armed Guard							
Supervisor							

नोट– निविदादाता के द्वारा उपरोक्त स्तम्भ – 8 में दर्शायी गई राशि के अलावे उन्हें अन्य किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूर्ण नाम

पदनाम

संस्था/कम्पनी/एजेन्सी का नाम